रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-15062023-246550 CG-DL-E-15062023-246550

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 348] No. 348] नई दिल्ली, बुधवार, जून 14, 2023/ज्येष्ठ 24, 1945 NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 14, 2023/JYAISHTHA 24, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 14 जून, 2023

सा.का.नि. 435(अ).—भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा. का.नि. 373 (अ), तारीख 17 मई, 2023 में पृष्ठ 2 पर, पंक्ति 32 में "37" के स्थान पर "97" पढ़ा जाए।

[फा.सं. क्यू-15017/2/2020-सी.पी.डब्ल्यू.]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE CORRIGENDUM

New Delhi, the 14th June, 2023

G.S.R. 435(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, number G.S.R. 373 (E), dated the 17th May, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), at page 3, in line 46 for 37 read 97.

[F. No. Q-15017/2/2020-CPW]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

3773 GI/2023

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-17052023-245915 CG-DL-E-17052023-245915

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 301] No. 301] नई दिल्ली, बुधवार, मई 17, 2023/वैशाख 27, 1945 NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 17, 2023/VAISAKHA 27, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मई, 2023

सा.का.िन. 373(अ).—पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 के प्रारूप पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यथापेक्षित, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 477(अ), तारीख 27 जून, 2022 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनका इससे प्रभावित होना संभाव्य है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिनों के अवसान से पूर्व, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे, अर्थात्:-

और, उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां 27 जून, 2022 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और, उक्त अधिसूचना के उत्तर में, सभी व्यक्तियों से प्राप्त किए गए आक्षेपों और सुझावों पर सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है :

3177 GI/2023 (1)

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29), की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातु:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2023 है।
 - (2) ये राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष के अवसान पर प्रवृत्त होंगे।
- 2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1996 की अनुसूची–1 में,- (क) क्र.सं. 70 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:-

क्र. सं.	उद्योग	मापदंड	औद्योगिक बॉयलर (ईंधन-वार) और मानकों के प्रकार	
(1)	(2)	(3)	(4)	
"70	बॉयलर	विविक्त कण (पीएम)	कृषि आधारित ईंधन/खोई	अन्य ईंधन
	(भाप उत्पादन क्षमता,	उत्सर्जन (मिलीग्राम /		
	टन/घंटा)	एनएम³)	500 मिलीग्राम/एनएम³	500 मिलीग्राम/एनएम³
	2 से कम		250 मिलीग्राम/एनएम³	150 मिलीग्राम/एनएम³
	 2 से 10 से कम तक 			
	• 10 और अधिक		250 मिलीग्राम/एनएम³	100 मिलीग्राम/एनएम³

टिप्पणियां:

(i) न्यूनतम स्टैक ऊंचाई (मीटर में) इस सूत्र के अनुसार होगी:

H = 14Q0.3 (जहां Q = SO2 उत्सर्जन दर किलोग्राम/घंटा में है या

H=74Q0.27 (जहां Q = पीएम उत्सर्जन दर टन/घंटा में है) इनमें से जो भी अधिक हो।)

तथापि, किसी भी स्थिति में <2 टन/घंटा भाप उत्पादन क्षमता वाले बॉयलरों के लिए स्टैक की ऊंचाई 11 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए और अधिक भाप उत्पादन क्षमता वाले बॉयलरों के लिए 30 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए।

- (ii) पीएम, SO2 और NOx की मापित मान को ठोस ईंधनों के लिए 6 प्रतिशत O2 पर तरल ईंधनों के लिए 3 प्रतिशत O2 पर, शुष्क आधार पर, उपरोक्त मानकों के साथ तुलना करने के लिए निम्नानुसार सामान्यीकृत किया जाएगा, अर्थातु:-
 - सामान्यीकृत मान = मापित मान x [(21 रेफ O2 6 या 3 प्रतिशत पर) / 21 प्रतिशत में मापित O2]
- (iii) ये मानक कोयला/लिग्राइट, पेट कोक, खोई/कृषि-ईंधन, और भट्टी तेल या हलका डीजल तेल या कम सल्फर, भारी स्टाक खोई या कृषि ईंधन आधारित विद्युत संयंत्रों के बॉयलरों और समतुल्य ईंधन खपत के आधार पर थर्मिक फ्यूड हीटर (टीएफएच) और हॉट एयर जनरेटर (एचएजे) का उपयोग करने वाले औद्योगिक बॉयलरों के लिए है। जबिक, कोयला/लिग्राइट आधारित विद्युत संयंत्रों के बॉयलरों के लिए, अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3305(अ), तारीख 7 दिसंबर, 2015 द्वारा ताप विद्युत संयंत्रों के लिए अधिसूचित उत्सर्जन मानक ही लागू होंगे";
 - (ख) क्र. सं. 59 का लोप किया जाएगा ;
 - (ग) क्र. सं. 37 का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. क्यू-15017/2/2020-सीपीडब्लू] नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम, अधिसूचना सं. का.आ. 844(अ), तारीख 19 नवंबर, 1986 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं. सा.का.नि. 804(अ), तारीख 03 नवंबर, 2022 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 16th May, 2023

G.S.R. 373(E).—Whereas, the draft Environment (Protection) Amendment Rules, 2022 were published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, *vide* notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, number G.S.R. 477 (E), dated the 27th June, 2022, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby on or after expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And, whereas, copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public on the 27th June, 2022;

And, whereas, objections and suggestions received from all persons in response to the said notification have been duly considered;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely: -

- 1. **Short title and commencement**.— (1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2023.
- (2) They shall come into force on expiry of period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.
- 2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule-I,- (a) for serial number 70 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

S. No.	Industry	Parameters	Type of industrial boiler (fuel-wise) and Standards	
(1)	(2)	(3)	(4)	
	Boilers (Steam generation capacity,	Particulate Matter (PM) Emission (mg/Nm³)	Agro based fuels/bagasse	Other fuels
	ton/hour) • Less than 2 • 2 to less than 10 • 10 and above		500 mg/Nm ³ 250 mg/Nm ³ 250 mg/Nm ₃	500 mg/Nm ³ 150 mg/Nm ³ 100 mg/Nm ³

Notes:

(i) Minimum stack height (in meter) shall be as per the formula, namely:-

H=14Q^{0.3} (where Q is SO₂ emission rate in kg/hr); or

H=74Q^{0.27} (where Q is PM emission rate in tonne/hr), whichever is more.

However, in no case the stack height shall be less than 11 m for boilers of < 2 ton/hour steam generation capacity and 30 m for boilers of higher steam generation capacity.

- (ii) Measured values of PM, SO₂ and NOx to be normalised at 6% O₂ for solid fuels and at 3% O₂ for liquid fuels, on dry basis, for comparing with above standards, as below, namely:-
 - Normalized value = Measured value \times [(21- Ref O₂ at 6 or 3 %) / (21 measured O₂ in %)]
- (iii) These standards are for industrial boilers using coal or lignite, pet coke, bagasse or agro-fuels, and Furnace Oil or Light Diesel Oil or Low Sulphur Heavy Stock, boilers of bagasse or agro-fuels based power plants, and also for Thermic Fluid Heater (TFH) and Hot Air Generator (HAG) on equivalent fuel consumption basis. Whereas, for boilers of coal or lignite based power plants the emission standards notified for thermal power plants, *vide* notification no S.O. 3305 (E), dated 7th December, 2015 shall be applicable";
 - (b) Serial number 59 shall be omitted:
 - (c) Serial number 37 shall be omitted.

[F. No. Q-15017/2/2020-CPW]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

Note: The principle rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.O. 844(E), dated the 19th November, 1986 and lastly amended *vide* notification G.S.R. 804 (E), 03rd November, 2022.